

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/2012/REG-03/SU/2129/1053

Date: 9th October 2017

Notification - 114 /2017

Subject: **Amendments in Ordinances of the University**

The Executive Council in its 25th, 26th and 27th meetings held on 10th June 2016, 21st November 2016 and 9th June 2017 respectively, on the recommendations of the Academic Council, approved the amendments in the following Ordinances of the University:

- OC-3 On fees payable by students
- OC-4 On the Bachelor of Arts, Science, Law, Medicine, Education, Home Science, Commerce, Vocational and Professional Courses
- OC-5 On the Masters Degree Programme in Arts, Science, Law, Medicine, Education, Home Science, Commerce and Professional Courses
- OC-6 On the Master of Philosophy Programme
- OC-7 On the Doctor of Philosophy Programme
- OD-1 On the admission of Colleges and Universities to the privileges of the University

The revised version of the above Ordinances are enclosed as Annexure to this notification.

Tej K. Kaul
(T.K.Kaul)
REGISTRAR

रजिस्ट्रार
Registrar

सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

Distribution:

1. PS to Vice-Chancellor for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of Schools of Studies
7. Dean, Students' Welfare
8. All Heads/In-charge(s) of the Departments
9. Joint Registrar (Academic)
10. System Analyst for necessary upload in the website
11. Office Copy
12. Guard file

OC SERIES ON STUDENTS

OC-3

ON FEES PAYABLE BY STUDENTS

[Under Section 5 (xxi) of the SU Act, 2006]

1. Students admitted to various programmes of study offered by the University on its campus shall pay *all the requisite fees, as decided and defined by the University from time to time. Ordinarily such fees levied by the University shall increase by 2% computed on a non-cumulative on each successive year. The fees payable by a student enrolled in an affiliated college shall be decided by the state government in case of government colleges, Governing Body in case of missionary/private colleges and Academic Council in case of the University.* The college students so admitted shall however pay Registration Fee, Mark-sheet Fee, Certificate Fee, and Examination Fee *as may be prescribed by the University from time to time* through their respective colleges or online.
2. A. *The types and amount of One Time Fees payable by a student for various programmes offered by the University shall be detailed in the Prospectus of the University to be released by it each year notifying commencement of the admission season.*
B. *The tuition and hostel accommodation fees payable by a student admitted to a programme shall be detailed in the Prospectus every year and, unless otherwise notified by the University, the same shall be paid online at the commencement of each semester.*
3. Deleted
4. *All fees shall be paid online. One Time Fees must be paid by all categories of students at the time of admission. However, students of certain categories, as may be specified in the Prospectus, who would be eligible for full or partial exemption from payment of tuition fees shall be refunded the fees if paid by them on receipt of a written request for refund and on verification of relevant documents claiming such exemption.*
5. Permission to appear in an examination shall be subject to clearance of all fees and at least 75% attendance, which may be condoned by the Principal/Dean concerned up to 5% shortage on production of documents that establish the reason for shortage of attendance.
6. Tuition Fees shall be relaxed by 50% for SU employees, wards of SU employees and Yangang villagers. The same shall be relaxed by 100% for the Differently Abled students, the people of Yangang who sold their lands to the state government for the University campus, and the people belonging to the “Primitive Tribe” of Sikkim.
7. If after having paid the fees, a candidate desires to withdraw his candidature before the starting of the course, he shall be refunded all fees and deposits after deducting ₹1000/- as processing fee as per the UGC Public Notice in this regard dated 23rd April 2007.

* **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

OC-4
**ON THE BACHELOR OF ARTS, SCIENCE, LAW, MEDICINE, EDUCATION, HOME
SCIENCE, COMMERCE, VOCATIONAL AND PROFESSIONAL COURSES**
[Under Section 30 (b) of the SU Act, 2006]

There shall be courses of study leading to the Degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Law, Bachelor of Medicine, Bachelor of Education, Bachelor of Home Science, Bachelor of Commerce, Bachelor of Vocation and Bachelor of Professional Courses.

Eligibility 1. Students who have passed Class XII examination from any recognised University/Board shall be eligible to seek admission to the first year of the Degree course. However, the candidates desiring to opt for Honours shall be required to have minimum 45% marks in the concerned subject or in the aggregate *if that particular subject has not been studied by the student* at Class XII or equivalent level.

Duration and Structure 2. The duration of the Degree courses with or without Honours shall ordinarily be six semesters or three years. This may however vary in case of professional courses from three to five years. There shall be continuous evaluation of the progress of students throughout the semester in a manner approved by the Academic Council and an End-Term examination at the end of each semester.

Award of Degree 3. *Students securing a minimum of 3.5 CGPA shall be considered successful and eligible for Pass Degree while students securing a minimum of 4.0 CGPA shall be considered successful and eligible for Honours Degree. Students securing CGPA higher than the minimum stipulated CGPA shall be placed in the relevant grades on a 10 point scale.*

Further, the top two scorers in terms of absolute score shall be awarded Gold and Silver medals respectively subject to the condition that such score, if below 60% shall not qualify for medal. The scores obtained after re-evaluation or improvement examination shall also not be considered for medals.

The mark sheet shall indicate the Grad obtained and the absolute score while the certificates awarded shall carry the Grade obtained and the CGPA.

Course Structure 4. *The course structure for UG programme shall be as specified in the Regulations from time to time.*

The subject combinations for Arts and Science subjects shall also be as specified in the Regulations from time to time.

* **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

OC-5

ON THE MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN ARTS, SCIENCE, LAW, MEDICINE, EDUCATION, HOME SCIENCE, COMMERCE AND PROFESSIONAL COURSES

[Under Section 30(b) of the SU Act, 2006]

The Master's Degree Programmes in Arts, Science, Law, Medicine, Education, Home Science, Commerce and Professional Courses under the University shall be full time courses of study spread over a period of four Semesters or two academic years.

1.
 - i. A candidate seeking admission to any of the courses must *fulfil the eligibility criteria* prescribed by the University *at the time of admission*.
 - ii. Admissions to different courses shall be made only in the first semester at the beginning of each academic year unless specifically decided for a course by the Academic Council.
 - iii. A candidate who has obtained a Bachelor's Degree (Honours or Pass), of this University or any other recognised university shall be eligible to apply for admission to any of the courses offered by a Department subject to provisions relating to prerequisites if any. *The minimum marks to be obtained and subjects required to be studied at UG level for being considered eligible for admission in a particular department shall be defined in the Prospectus.*
 - iv. Admission to *UG/PG programmes* shall be made on the basis of a candidate's marks, subjects studied in the qualifying degree and *marks obtained in Central Admission Test conducted by the University and shall be in compliance with the Government of India rules and notifications issued from time to time.*
2.
 - i. Subject to the general guidance of the Dean of the School, the instruction and routine in each course shall be *framed by and shall remain under direct control and monitoring* of the Head of the Department concerned.
 - ii. *Each student shall remain directly accountable to the Head of the Department and the Dean of the School concerned in respect of the progress of study as also her/his general conduct within the University premises.*
3. A student shall earn a minimum of 64 credits during the period of four semesters to qualify for Master's degree. Out of *the total of 64 credits*, 56 credits shall have to be earned from the core courses of the programme to which s/he is admitted. The balance 8 credits may be earned by the student from the courses offered by other departments during II (4 Credit) and III (4 Credit) semesters only. A student shall, however, earn 64 credits within a maximum period of six semesters.
4. A student must have attended a minimum of 75% of the lectures during a semester to be eligible to appear at the End Semester examination.
5. The Dean of the School or Principal of a college may, on the recommendation of the Head of the Department concerned, condone the shortage of attendance by a maximum of up to 5% under exceptional cases and provided such shortfalls have been justified with valid documentary evidences.
6. A student who attends classes regularly and appears for both the internal tests but fails in one of all the courses in a given semester, for whatsoever reasons, may repeat the examination for those courses during the next relevant semesters, but not beyond six semesters.
7. Each semester shall have at least 90 working days excluding examination days and the dates of commencement and termination of each semester shall be fixed by the Academic Council.

8. Examiners for each course of study shall be appointed by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies and from the panel approved by the Academic Council.
9. Candidates shall apply for admission to the End-Semester examination in the prescribed form to the Controller of Examinations through the Head/IC of the Department who shall certify that:
 - i. The candidate has attended the minimum number of lectures etc. in respect of Core courses as well as Open courses in II and III semesters.
 - ii. All dues including prescribed examination fees have duly been paid.
10. The End-Semester results shall be moderated by a Result Moderation Board *to be convened and chaired by the Controller of Examinations. The recommendations of the Result Moderation Board shall be placed before the Vice-Chancellor for his approval before publication of the concerned results.*
11. *Students securing a minimum of 4.0 CGPA shall be considered successful and would be eligible to be awarded the Degree. Students securing CGPA higher than the minimum stipulated CGPA shall be placed in the relevant grades as computed on a 10 point scale.*

Further, the top two scorers in terms of absolute score shall be awarded Gold and Silver medals respectively subject to the condition that such score, if below 60%, shall not be considered for medal. The scores obtained after re-evaluation or improvement examination shall also not be considered for medals.

The mark sheet shall indicate the Grade obtained and the absolute score while the certificates awarded shall carry the Grade obtained and the CGPA.

- * **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

OC-6

ON THE MASTER OF PHILOSOPHY PROGRAMME

[Under Section 30(d) of the SU Act, 2006]

- | | |
|-------------------|---|
| Objectives | 1. The University shall have M.Phil. programme with the objective of providing deeper insight in the relevant subject, broadening horizons, emphasizing the unity of all knowledge normally divided in numerous disciplines, equipping scholars with necessary tools and practical experience for further research in different fields. The M.Phil. degree shall be the first research degree of the University. |
| Coursework | 2. The M.Phil. programme shall consist of two parts: (a) course work, and (b) dissertation/project work, both the parts having equal weightage, i.e., 12 credits each. <ol style="list-style-type: none"> i. The coursework of one semester shall consist of three papers offered by the Department out of which one shall be on research methodology. A teacher of this University having M.Phil./PhD degree shall be eligible to teach M.Phil. courses. <i>The coursework shall be of one semester duration only and must be cleared within the first two semesters of commencement of the course.</i> |

- ii. The M.Phil. scholars shall be required to attend and participate in seminars organised by the Department for the purpose of discussing new results, developments in the subject and/or interpretation of data. Each scholar shall be required to present two seminars, one in the early phase of his dissertation/project work and the other just before submission of his thesis.

Admission

- 3. i. The admission to M.Phil. programme shall be done once in a year along with admission to other programmes of the University/ College provided further that a College may be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D programmes only if it satisfies the following:
 - a. It must have at least two eligible research supervisors in the academic department interested to offer these programmes.
 - b. Post-Graduate departments in the college willing to offer these programmes must have adequate infrastructure, research laboratories, and library well-equipped to support research work and support staff.
 - c. It must also have the necessary recognition from the affiliating university for being eligible to offer these programmes.
- ii. The candidates with at least 55% {50% in the case of candidates belonging to SC/ST/OBC(non-creamy layer)/PWD} marks in the Master's Degree in the subject concerned or cognate subject shall be required to appear in a written Entrance Test and an interview to be conducted by the Department. A 50% score shall be minimum to qualify in the written entrance test and to be considered eligible to appear in the personal interview. The candidates shall be selected strictly according to merit to be ascertained taking into consideration the following:
 - a. CGPA or percentage of marks by her/him in the Master's Degree or equivalent and,
 - b. Her/his performance in the written entrance test and interview performance combined together.

The final admission list shall be drawn on the basis of the number of seats available and the performance of the candidates. A candidate shall be assigned a supervisor by the Department after successful completion of the coursework securing *at least 6.0 CGPA computed on a 10 point scale.*

- iii. A candidate who has qualified UGC-NET (including JRF), CSIR-NET (including JRF)/SLET/GATE/Teacher Fellowship shall be exempted from appearing in admission test but shall have to attend the interview.

Registration

- 4. A candidate shall apply through the Department's Board of Studies for registration along with the synopsis which shall be considered for approval by the School Board. The date of registration shall be the date of approval by the School Board.

Duration

- 5. i. A scholar shall normally complete her/his M.Phil. in three semesters. An extension of only one semester shall be allowed in reasonably justified cases on the recommendation of the supervisor. College teachers undertaking M.Phil. programme, may be granted one extra semester over and above what is being allowed for regular candidates to facilitate them to complete the programme. Further, women and PwD candidates with at least 40%

disability shall be given an additional one year over and above the normal extension of one semester permissible on the recommendation of the supervisor. Furthermore, women candidates shall be entitled to Maternity Leave/CCL for up to 240 days once in the entire duration of MPhil programme after registration.

ii. If a candidate after clearing the course work of one semester, out of which at least one paper shall be on research methodology, discontinues his dissertation work for some unforeseen reason, the School Board may condone a break of not more than two semesters and the candidate may be allowed to resume his work. If the break is for more than two semesters, the scholar shall seek fresh admission to the M.Phil. programme. The period of the break shall be computed from the date of publication of the course work result.

**Allocation of
Research
Supervisor
and
Attendance**

6. a. Any regular Professor of the university/college with at least five research publications in referred journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university/college having a Ph.D. degree and at least two research publications in referred journals to their credit shall be recognized as Research Supervisors. Provided further that in areas/disciplines where there is no or only limited number of refereed journals, the institution concerned may relax the condition aforesaid for recognition of a person as Research Supervisor with reasons for providing such relaxations recorded in writing.
- b. An M.Phil. student is expected to attend all lectures pertaining to his coursework. The attendance of the candidate shall have to be at least 75% in each course. A maximum of 5% shortfall in attendance may be condoned by the concerned Dean on the recommendation of the Hod/IC of the concerned department against production of some valid document to establish the reason for shortage of attendance.

**Evaluation of
Coursework**

7. i. The evaluation of the coursework will be internal.
- ii. The performance of the scholar shall be evaluated in Grades to be computed on a 10 point scale and the minimum score for being awarded the degree of MPhil shall be 5.0 CGPA. Scholars securing higher CGPA than the stipulated minimum shall be placed in the relevant Grade as computed on a 10 point scale.

The MPhil Degree Certificate shall carry the Grade and the grade point obtained in a 10 point scale.

**Pre-
submission
seminar**

8. When the supervisor is of the opinion that the dissertation is in the final stage of completion, the scholar shall be required to give a pre-submission seminar on his research findings. This seminar shall be given in the presence of a committee of at least three faculty members, of which one will be from an allied department. The candidate may incorporate the recommendation of the committee in his dissertation.

**Submission
of
Dissertation**

9. i. An M.Phil. candidate shall submit 1 soft copy in a CD/DVD and 3 hard copies of his dissertation duly recommended by the Supervisor and forwarded by the Department to the Controller of Examinations.
- ii. The dissertation shall contain a declaration from the candidate and his supervisor stating that it contains bonafide research contents

of the student and that this has not been submitted for another degree elsewhere or in this University.

- iii. *The dissertation shall also incorporate in it a duly certified plagiarism test report. In case the report indicates that the extent of plagiarism is above the prescribed level of 20%, excluding quotes and references, the said dissertation shall not be sent to the examiners for evaluation and the candidate concerned shall be given the opportunity to rewrite her/his thesis within a period of six months failing which the candidate's registration shall stand cancelled.*

Panel of Examiners

10. *The Supervisor shall submit a panel of four examiners, including her/his own name as Internal Examiner, with postal address, email id and mobile phone number, in the prescribed proforma to the School Board through the Head of the Department for its approval and onward transmission to the Controller of Examinations. However, the Supervisor shall neither submit the panel nor serve as examiner where the candidate is a wife or husband, son or daughter, brother or sister.*

In such situation, the panel of experts shall be selected and submitted by the HoD/IC of the department and if the Supervisor happens to be holding such a position the same shall be submitted by the Dean of the School. A copy of the same shall also be endorsed to the Chairman of the Academic Council.

Evaluation

11.
 - i. The dissertation shall be examined by two examiners (one of them being the Supervisor) to be appointed by the Vice-Chancellor from the panel approved by the Academic Council and the Executive Council. At least one of the examiners should be from outside the state where the University is located. The grade point for dissertation (12 credits) shall be worked out by calculating the average of the grade points awarded by the internal (4 credits) and external (4 credits) examiners for the dissertation (8 credits/200 marks). The remaining 4 credits/100 marks shall be awarded by the external examiner on the basis of viva voce.
 - ii. However a supervisor shall not act as an examiner where a candidate is a wife or husband, son or daughter, brother or sister of the Supervisor. Where a candidate is related to the Supervisor, the dissertation submitted by a candidate for M.Phil. degree shall be sent to another examiner selected from the panel of examiners. In such cases, the panel of examiners will be submitted by the HoD/IC of the department and if the HoD/IC happens to be the supervisor the same will be submitted by the Dean of the School.

Award of the Degree

12.
 - i. The dissertation work shall be accepted for the award of the M.Phil. degree on the unanimous recommendation of both the examiners **and a viva-voce conducted by an external examiner, who shall preferably be the evaluator of his/her dissertation.**
 - ii. If there is a difference of opinion between the two examiners the matter shall be referred to a third examiner to be appointed by the Vice-Chancellor out of the panel already submitted. The third examiner will act as the adjudicator and his decision shall be final.
 - iii. In case the examiner suggests some modifications for improvement of the dissertation or points out certain lacunae in the same, the candidate shall be asked to reply or to modify the dissertation on

the suggested lines and resubmit the dissertation within a period of six months of the communication of the decision.

- iv. In the event of unanimous recommendation by both the examiners, the final grade point may be computed keeping in mind the average of both coursework and dissertation grade points. In the event of one of the examiners for dissertation not recommending, the final grade point may be computed keeping in mind the average of the course work and the grade point awarded to the candidate by the third examiner.
- v. ***On receipt of the reports of the examiners, the Examination Department shall compute the final grade point and present the same along with the compiled grade card of the candidates to the Vice-Chancellor for his approval. Once approved, the Controller of Examinations shall notify the award of the degree.***

Removal of Difficulties 13. Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the Vice-Chancellor may take such measures as may be necessary for removal of difficulties.

- * **The amended provisions in italics and bold have been approved by the Executive Council in its 25th meeting held on 10th June 2016.**
- * **The amended provisions in italics and underlined have been approved by the Executive Council in its 26th meeting held on 21st November 2016.**
- * **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

OC-7

ON THE DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAMME

[Under Section 30(d) of the SU Act, 2006]

Admission and Eligibility

1. The admission to the PhD Programme shall be in the beginning of each academic year and shall be done once in a year along with admission to other programmes of the University/ College *provided further that a College may be considered eligible to offer MPhil/ PhD programmes only if it satisfies the following:*
 - a. *It must have at least two eligible research supervisors in the academic department interested to offer these programmes.*
 - b. *Post-Graduate departments in the college willing to offer these programmes must have adequate infrastructure, research laboratories, and library well-equipped to support research work and support staff.*
 - c. *It must also have the necessary recognition from the affiliating university for being eligible to offer these programmes.*

Candidates with at least 55% (50% for SC/ST/OBC (non-creamy layer)/PWD marks in their Master's Degree in the subject concerned or allied/cognate subject offered by the Departments shall be required to appear in a written entrance test and a personal interview. Selection of candidates shall strictly be on merit to be evaluated on the basis of her/his performance in the written entrance test and personal interview.

Note: Candidates with MPhil/UGC-NET (including JRF) /CSIR-NET (including JRF) /SLET/GATE/ and Teacher Fellowship shall be exempted from appearing in the written admission test but shall be required to face the interview. *An internal candidate whose MPhil thesis has been evaluated but viva is yet to be completed shall also be exempted from written test.*

- Coursework** 2. A coursework of minimum one semester and 12 credits is compulsory. The one semester coursework shall consist of three papers offered by the Department out of which one shall be on research methodology. *The coursework shall be of one semester duration only but must be cleared within the first two semesters of commencement of the course.*

Commencement of Non-NET fellowship shall start from the date a student clears the coursework with requisite percentage/grade.

Candidates who have already been awarded MPhil degree from any recognized university shall be exempted from doing the coursework.

- Supervisor** 3. The Department shall appoint a supervisor. *Any regular professor of the university/college with at least five research publications in refereed journals and any regular associate/assistant professor of the university/college having a PhD degree and at least two research publications in refereed journals to her/his credit shall be recognized as Research Supervisor. In areas/disciplines where there is no or only limited number of refereed journals, the institution concerned may relax the aforesaid condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons for providing such relaxations recorded in writing.*

The Department may, in addition and with the approval of the School Board, appoint one or two joint supervisors in which case the Supervisor shall be in overall charge of the supervision. A joint supervisor need not necessarily be a teacher of the University but should be a person recognised by the University as qualified and knowledgeable enough to supervise a doctoral work. *In case, a supervisor goes on long leave, resigns or retires from services of the university, the Departmental Research Committee (DRC) shall arrange to reallocate Supervisors to all scholars registered with him/her and seek due endorsement from the concerned School Board.*

- Registration** 4. The application for registration of PhD shall be made to the Department concerned in the proforma as may be prescribed by the University along with a detailed research proposal. The detailed proposal must include the topic, statement of research, objectives, research questions, and research methodology. The Department shall forward the research proposal to the School Board through the Board of Studies. The date on which the School Board accepts the proposal for registration shall be the effective date of registration of the scholar for the purpose of this Ordinance. However, the maximum permissible period between the date of admission and the date of registration for PhD programme shall be 3 semesters or 18 months.

- Duration** 5. A scholar shall be permitted to submit the thesis for the PhD degree if he has pursued research at the University for not less than *three years counting from the date of her/his admission.* The name of a scholar shall be removed from the rolls of the University if s/he fails to submit her/his thesis within six years from the date of his registration.

In exceptional circumstances, the School Board, on the recommendation of the Board of Studies, may extend the date for submission of her/his thesis for a maximum period of one more year. If the candidate fails to submit her/his thesis within the extended period her/his registration shall lapse automatically. However, women and PwD candidates with at least 40% disability shall be given an additional one year over and above the normal extension of one semester permissible on the recommendation of the supervisor. Furthermore, women candidates shall be entitled to Maternity Leave/CCL for up to 240 days once in the entire duration of MPhil programme after registration.

Review of Progress

6. The Supervisor shall regularly monitor the progress of the research work of the candidate. If the Supervisor finds that the progress of the scholar's work is not satisfactory, a report to that effect shall be submitted to the School Board through the Department for appropriate action.

Pre-Submission Seminar

7. When the Supervisor is of the opinion that the thesis is in the final stage of completion, the scholar shall be required to give a pre-submission seminar on his research findings.

This seminar will be given in the presence of an evaluation committee of at least three faculty members to be nominated by the Dean of the concerned School, one of whom shall be from an allied Department. The candidate may incorporate the recommendations of the Committee in the thesis.

Modification of Title

8. If there is a need for modification of the research work title, the candidate shall submit an application to that effect to the Dean through the Head/IC at least six months before the date of submission of the thesis.

Submission of Thesis

9. i. A candidate shall submit her/his thesis for PhD in which s/he may incorporate the text of any work which s/he may have published on the subject. But s/he shall not submit as her/his thesis any work for which a degree has already been conferred on her/him by this or any other university.
- ii. A PhD candidate shall publish at least one research paper in a refereed journal before the submission of her/his thesis, and produce evidence of the same in the form of acceptance letter or reprint.
- iii. The scholar shall satisfy that it is a piece of research work characterised either by discovery of new facts or by fresh interpretation of facts or theories. In either case it should evince her/his capacity for critical examination, original thinking and judgment. Its literary presentation should also be satisfactory.
- iv. The thesis shall include a certificate from the Supervisor and the declaration from the candidate that the thesis incorporates the student's bonafide research and that the same has not been submitted for award of any degree in this or any other university or institute of learning.
- v. *The dissertation shall also incorporate in it a duly certified plagiarism test report. In case the report indicates the extent of plagiarisation is above 20%, excluding the quotes and references, the*

said dissertation shall not be sent for evaluation and the candidate concerned shall be given the opportunity to rewrite her/his thesis within a period of six months failing which the candidate's registration shall stand cancelled.

- vi. If the office of the Controller of Examinations is convinced that plagiarism has been committed in the thesis the same shall not be sent to the examiners for evaluation. Such a candidate may be given six months to rewrite her/his thesis, failing which her/his registration shall stand cancelled.

Panel of Examiners

10. The Supervisor shall submit a panel of six examiners, including his own name as Internal Examiner, with postal address, email id and mobile phone number, in the prescribed proforma to the School Board through the Head of the Department for its approval and onward submission to the Controller of Examinations, *provided that the Supervisor shall neither submit the panel nor serve as examiner where the candidate is a wife or husband, son or daughter, brother or sister.*

In such situation the panel of experts shall be selected and submitted by the HoD/IC of the department and if the Supervisor happens to be holding such a position the same shall be submitted by the Dean of the School. A copy of the same shall also be endorsed to the Chairman of the Academic Council.

Evaluation

11. The thesis submitted by the candidate for PhD shall be examined by at least three examiners *to be nominated in a preferential order by the Vice-Chancellor* from the panel approved by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council. Two of the examiners so chosen shall not be in the roll of the University and at least one of them shall be from outside the state, while the third examiner shall be the Supervisor.

On completion of the submission formalities, the Controller of Examinations shall initiate measures to get the thesis evaluated.

Examiner's Report and Viva-Voce

12.
 - i. Each examiner shall, after examining the thesis submit a report in a prescribed proforma to the University clearly stating that in his opinion (a) the thesis is recommended for the award of PhD Degree, or (b) the thesis should be modified/revised, or (c) the thesis may be rejected.
 - ii. In case an examiner suggests some modifications/ improvements of the thesis or points out certain lacunae in the thesis, the candidate should be asked to reply or modify the thesis as suggested and resubmit the thesis to be forwarded to the concerned examiner within a period of one year from the date of intimation of the requirement of modification by the University. If the examiner is still not satisfied the matter shall be referred to a Committee of Experts to be appointed by the Vice-Chancellor.
 - iii. A thesis shall be accepted for the award of the Degree of Doctor of Philosophy on unanimous recommendation of the examiners. If both the external examiners reject the thesis, no degree will be awarded. If there is a difference of opinion between the external examiners it should be referred to a fourth examiner to be nominated by the Vice-Chancellor out of the panel already approved by the Academic Council and the Executive Council. The opinion of the 4th Examiner shall be final.

iv. If the reports are satisfactory, *s/he shall defend his/her thesis before the university audience convened and moderated by the Dean of the School.*

Award of Degree **13.** *All the reports of the examiners, including the report of the Dean of the School on viva voce examination, shall be submitted to the Controller of Examinations who shall then process the matter and on completion of the needful, place the matter before the Vice-Chancellor for his approval. On being approved, the Controller of Examinations shall notify the result.*

Removal of Difficulties **14.** Notwithstanding anything contained herein above in this Ordinance, the Vice-Chancellor may take such measures or make such regulations as may be necessary for removal of difficulties.

* **The amended provisions in italics and underlined have been approved by the Executive Council in its 26th meeting held on 21st November 2016.**

* **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

OD SERIES ON AFFILIATED COLLEGES

OD-1

ON THE ADMISSION OF COLLEGES AND INSTITUTIONS TO THE PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY

[Under Section 5(xvii) of the SU Act, 2006]

- Definition** For the purpose of this Ordinance, colleges/institutions mean colleges/institutions imparting education at UG or PG level in various subjects/courses of study; the word “subjects” refer to subjects like History, Economics, and Geography; the word “courses” refer to Pass, Honours and Professional courses; and the word “programme” refers to Bachelor’s, Integrated, Master’s, MPhil and PhD programmes (stand alone or integrated).
- Affiliation Committee**
1. The Academic Council shall constitute an Affiliation Committee for Colleges/ Institutions/Subjects/Courses under the University. The composition of the Committee shall be as follows:
 - i. Vice-Chancellor or Pro-Vice-Chancellor Chairman
 - ii. Director of Public Instruction/Higher Education or his nominee Member
 - iii. Two nominees of the Academic Council Members
 - iv. Controller of Examinations Member
 - v. Director, College Development Council Member-Secretary
- Powers and Functions**
2. The Affiliation Committee shall scrutinize the applications for affiliation and recommend to the Academic Council affiliation of Colleges/ Institutions/Subjects/Courses. Withdrawal of affiliation, if any, of Colleges/Institutions/Subjects/Courses, shall also be recommended by the Affiliation Committee.
- Meetings**
3. The Affiliation Committee shall meet as and when necessary.
- Quorum**
4. The Quorum for the meeting of the Committee shall be one-third of its total members.
- Degree College/ Institution**
5. The college/institution for the purpose of this Ordinance shall be UG/PG college/institution providing instructions in subjects for relevant degrees.
- Admission to the Privileges of the University**
6. Admission of a college/institution to the privileges of the University shall mean affiliation for the purposes of this Ordinance.
- Affiliation of a Subject/ Course of Study**
7. Admission to the privileges of the University of various courses (Pass/Honours/Professional) leading to relevant degrees shall mean affiliation and shall be granted as per this Ordinance.

- Stages of affiliation of a college/ course of study**
8. Affiliation of a college/institution/subjects/courses of study as per the provisions of this Ordinance shall be granted to institution/subject in two stages: (i) temporary affiliation and (ii) permanent affiliation.
- Starting a New Course/ Subject/ College/ Institution**
9. When it is proposed to start a new college/institution/subject/course of study, the sponsoring body, or in the case of a Government College/Institution the authority concerned, shall submit an application to the Registrar on the prescribed proforma on or before 15th of August of the year prior to which it is intended to start the college/ institution/subject/course of study.
- Initial Screening of the Application**
10. On receipt of the application, the Affiliation Committee shall scrutinize the application and may seek further clarification, if necessary, from the applicant concerned in writing. If the Committee is satisfied with the project report and having found that there is a prima facie case for starting a new college/institution, then it shall recommend constitution of an inspection team.
- Inspection Team**
11. The inspection team shall be constituted in a manner instructed by the UGC from time to time.
- Inspection**
12. The Inspection Team shall submit its report, within 7 days of the visit, to the Director, College Development Council. The Inspection Team shall report on suitability of the site, feasibility of the plan, adequacy of human, physical and financial resources, library/laboratory facilities and other requirements as prescribed by the UGC from time to time. If the Affiliation Committee is satisfied with the report, it shall recommend to the Academic Council starting the college/institution/ subject/course of study. The Academic Council shall send its recommendations to the Executive Council for grant of permission.
- Preliminary Steps by the Sponsoring Agency/ Authority for Temporary Affiliation**
13. On receipt of permission to open a college/institution/subject/course of study, the applicant shall deposit the fees approved by the Authorities of the University from time to time and other such documents that the University may seek such as the evidence of fixed deposits for amounts prescribed by the UGC from time to time for Arts, Science, Commerce and Professional Courses. On completion of this the college/institution/subject/course of study is considered as temporarily affiliated and such affiliation shall remain valid for one year only. The application for renewal of affiliation must be made at least one semester before the termination of the temporary affiliation.
- Grant of Renewal**
14. The Chairman of the Affiliation Committee shall constitute an Inspection Team to inspect the college/institution for renewal. The Inspection Team shall submit its report, within 7 days of the visit, to the Director, College Development Council. The Affiliation Committee after receiving the report shall forward the same to the Academic Council along with its comments and observations. If the Academic Council is satisfied with the report, it may recommend to the Executive Council for the renewal of temporary affiliation for a period of another one year.
- Permanent Affiliation**
15. A college/institution which has been granted provisional affiliation for five years and fulfills such other conditions as prescribed by the UGC for the purpose from time to time, may apply for permanent affiliation to the Director, College Development Council, on the prescribed proforma with the required fee.

Grant of Permanent Affiliation

16. The Chairman of the Affiliation Committee shall constitute an Inspection Team to inspect the college/institution for permanent affiliation of the college/institution or subject/course of study or both. The Inspection Team shall submit its report, within 7 days of the visit, to the Director, College Development Council. The Affiliation Committee, after receiving the report, shall forward the same to the Academic Council along with its comments and observations. If the Academic Council is satisfied with the report, it may recommend to the Executive Council for grant of permanent affiliation to a college/institution or subject/course within it. The grant of permanent affiliation to a college/institution does not entitle it to claim, ipso facto, permanent affiliation to a subject/course of study and vice versa.

Power to lay down new conditions

17. The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council, lay down new conditions for affiliation from time to time, which shall be binding on the college/institution admitted to the privileges of the University.

Admission of Students

18. No student shall be admitted to any college/ institution/subject/ course of study before expressed permission is granted by the University. Breach of this rule may invite refusal of affiliation to the college/institution.

Power to withdraw Permission of any Affiliation

19. The Executive Council shall have the powers to withdraw any affiliation from a college/institution if, in its opinion, the college/institution has failed to comply with the Ordinances on Affiliation or any other directives of the University.

Fees

20. The following shall be the fees to be paid by the affiliated colleges with 2% non-cumulative increase every year from the date of adoption of this Ordinance:

Sl. No	Nature of Affiliation applied for	Amount of Fees to be paid in ₹
1	Temporary Affiliation of Institution	10,000
2	Permanent Affiliation of Institution	50,000
3	Temporary Affiliation of UG Pass Subject	5,000
4	Permanent Affiliation of UG Pass Subject	25,000
5	Temporary Affiliation of UG Honours Subject	8,000
6	Permanent Affiliation of UG Honours Subject	40,000
7	Temporary Affiliation of UG Professional Subject	10,000
8	Permanent Affiliation of UG Professional Subject	50,000
9	Temporary Affiliation of Certificate Course	3,000
10	Permanent Affiliation of Certificate Course	15,000
11	Temporary Affiliation of Diploma Course	5,000
12	Permanent Affiliation of Diploma Course	25,000
13	Temporary Affiliation of PG Subject	5,000
14	Permanent Affiliation of PG Subject	25,000
15	Temporary Affiliation of MPhil Subject	6,000
16	Temporary Affiliation of PhD Subject	8,000
17	Fixed Deposit for starting UG Programmes in Arts, Commerce and Science	15 lakhs or as prescribed by UGC
18	Fixed Deposit for UG Programmes in Professional Courses	35 lakhs or as prescribed by UGC

Fixed deposits as stated under serial numbers 17 and 18 in the above shall not apply to the colleges run by the State Government. It shall apply

to the colleges managed by duly constituted governing body, registered society or trust.

Removal of Difficulties 21. Any difficulty arising in interpretation of or giving effect to any provisions of this Ordinance, shall be referred to the Vice-Chancellor, whose interpretation or decision thereon shall be final.

* **The amended provisions in italics have been approved by the Executive Council in its 27th meeting held on 9th June 2017**

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/2012/REG-03/SU/2129/1053

दिनांक: 9 अक्टूबर 2017

अधिसूचना - /2017

विषय : विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में संशोधन

दिनांक 10 जून 2016, 21 नवंबर 2016 और 9 जून 2017 को क्रमशः आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 25वीं, 26वीं और 27वीं बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यादेशों के संशोधनों को अनुमोदित किया गया है।

ओसी-3 छात्रों द्वारा देय शुल्कों पर

ओसी-4 कला, विज्ञान, विधि, मैडिसिन, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों पर

ओसी-5 कला, विज्ञान, विधि, मैडिसिन, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, व्यावहारिक एवं व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों पर

ओसी-6 दर्शन निष्णात पाठ्यक्रम पर

ओसी-7 विद्या वाचस्पति पर

ओडी-1 विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रवेश पर

उपर्युक्त अध्यादेशों के संशोधित संस्करण इस अधिसूचना के अल्लुगनक के रूप में संलग्न है।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. डीन, छात्र कल्याण
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
10. सिस्टम एनालिस्ट, वेबसाइट में आवश्यक अपलोड करने हेतु
11. कार्यालय प्रति
12. सुरक्षा फ़ाइल

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)

कुलसचिव

कुलसचिव

Registrar

सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

छात्रों पर ओसी शृंखला

ओसी-3

छात्रों द्वारा देय शुल्कों पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 5 (xxi) के अधीन]

1. विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर में प्रदान किए गए आध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिए छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्णीत और निर्धारित सभी आवश्यक शुल्कों का भुगतान करना होगा। सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए ऐसे शुल्क प्रत्येक वर्ष गैर-संचयी के हिसाब से 2% की वृद्धि की जाएगी। सम्बद्ध महाविद्यालयों में नामांकित किसी छात्र द्वारा देय शुल्कों का निर्धारण सरकारी महाविद्यालयों के मामले में राज्य सरकार और मिशनरी/निजी महाविद्यालयों के मामले में शासकीय निकायों तथा विश्वविद्यालय के मामलों में शैक्षणिक परिषद द्वारा किया जाएगा। जबकि प्रवेश लिए हुए महाविद्यालय के छात्रों को उनके संबन्धित महाविद्यालयों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने के अनुसार पंजीकरण शुल्क, अंकपत्र शुल्क, प्रमाण-पत्र शुल्क और परीक्षा शुल्कों का भुगतान करना होगा।
2. क. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय एककालीन शुल्कों का प्रकार एवं राशि का विवरण प्रत्येक वर्ष प्रवेश सीजन की शुरुआत को सूचित करने के लिए प्रकाशित पाठ्यक्रम विवरणिका में विस्तार से दिया जाएगा।
ख. किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लिए छात्रों द्वारा देय शिक्षण एवं छात्रावास शुल्कों का विवरण प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम विवरणिका में दिया जाएगा और जब तक विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक उसे प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
3. हटा दिया गया है।
4. सभी शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। एककालीन शुल्कों का भुगतान सभी वर्गों के छात्रों द्वारा सेमेस्टर के प्रारम्भ में किया जाना अनिवार्य है। जबकि, छात्रों के किसी वर्ग, जैसा कि पाठ्यक्रम विवरणिका में निर्धारित किया गया हो, जो शिक्षण शुल्कों के भुगतान से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छुट प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे, अगर उनके द्वारा शुल्कों का भुगतान किया गया है तो राशि वापस करने के लिए लिखित तौर पर निवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी छुट के दावे करने के संगत दस्तावेजों का सत्यापन करने पर उन्हें शुल्क राशि वापस किया जाएगा।
5. किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति सभी शुल्कों के भुगतान करने और कम से कम 75% की उपस्थिति रहने की शर्तों पर दी जाएगी, जिसे उपस्थिति की कमी के वैध कारण को सिद्ध करनेवाली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर संबन्धित अध्यक्ष/डीन द्वारा 5% की कमी तक उपस्थितिमाफ किया जा सकता है।
6. सि.वि. कर्मचारियों, सि.वि. के कर्मचारियों की संतानों और यांगयांग के ग्रामीणों के लिए शिक्षणशुल्क 50% तक कम किए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर के लिए राज्य सरकार को अपनी जमीनविक्री करनेवाले यांगयांग के लोगों के विकलांग छात्रों और सिक्किम के "आदिवासी जनजाति" केलोगों के लिए शिक्षण शुल्क में 100% की छुट दी जाएगी।
7. शुल्कों के भुगतान किए जाने के बाद यदि कोई प्रार्थी पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने से पहले अपना प्रार्थित्व वापस लेना चाहता है, तो दिनांक 23 अप्रैल 2007 को इस संदर्भ में जारी यूजीसी की सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रु.1000/- की राशि घटाने के बाद शेष सभी शुल्क उसे वापस और जमा किए जाएंगे।
- * तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ओसी-4

कला, विज्ञान, विधि, औषधि, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (एकक और एकीकृत) के स्नातक पाठ्यक्रमों पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 30(ख) के अधीन]

कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, विधि स्नातक, मेडिसिन स्नातक, शिक्षा स्नातक, गृह विज्ञान स्नातक, वाणिज्य स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (एकक और एकीकृत) के स्नातक डिग्री के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम होंगे।

पात्रता

1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करनेवाले छात्र डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश मांगने के लिए पात्र होंगे। जबकि, जो प्रार्थी ऑनर्स चुनना चाहता है, उसे संबन्धित विषय में अथवा हर एक विषय में, यदि वह विशेष विषय किसी छात्र ने अपनी बारहवीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष कक्षा में नहीं पढ़ा है, न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अवधि एवं संरचना

2. ऑनर्स के साथ अथवा ऑनर्स के बिना डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अवधि सामान्यतः छः सेमेस्टर अथवा तीन वर्षों की होगी। हालांकि, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में यह अवधि तीन से पाँच वर्ष तक बादल सकती है। छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित तरीके से पूरे सेमेस्टर में होगा और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक सत्रांत परीक्षा होगी।

श्रेणी के साथ डिग्री प्रदान

3. न्यूनतम 3.5 सीजीपीए प्राप्त करनेवाले छात्रों को सफल माना जाएगा और उत्तीर्ण डिग्री के लिए पात्र माना जाएगा और न्यूनतम 4.0 सीजीपीए प्राप्त करने पर छात्रों को सफल माना जाएगा और को ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा। निर्धारित न्यूनतम सीजीपीए से अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 सूत्रीय पैमाने पर प्रासंगिक ग्रेड में स्थान दिया जाएगा।

इसके अलावा, पूर्ण अंकों के संदर्भ में दो शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक प्रदान किए जाएंगे, परंतु शर्त यह है कि अगर ऐसे अंक 60% प्रतिशत अंक से कम होंगे तो, मेडल के लिए योग्य नहीं होंगे। पुनर्मूल्यांकन अथवा सुधार परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों को भी पदकों के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंक पत्रों में प्राप्त किए गए ग्रेड और पूर्ण अंकों का उल्लेख किया जाएगा, जबकि प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों में प्राप्त किए गए ग्रेड और सीजीपीए का उल्लेख होगा।

पाठ्यक्रम की संरचना

4. स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार होगी।

कला और विज्ञान विषयों के लिए विषयों का संयोजन भी समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित के अनुसार होंगे।

* तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद कि 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ओसी-5

कला, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के निष्णात डिग्री पाठ्यक्रमों पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 30(ख) के अधीन]

विश्वविद्यालय के अधीन कला, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर अथवा दो शैक्षणिक वर्षों तक व्याप्त पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होंगे।

1. i. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक किसी प्रार्थी को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
ii. शैक्षणिक परिषद द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए जाने तक विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया जाएगा।
iii. जो प्रार्थी इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के से स्नातक (ऑनर्स अथवा पास) की उपाधि प्राप्त की है, वह प्रार्थी पूर्वापेक्षित, यदि कोई हो, से संबन्धित प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के योग्य होगा। किसी विशेष विभाग में दाखिला लेने के लिए योग्य माने जाने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंक और अध्ययन किए जाने के लिए आवश्यक विषय पाठ्यक्रम विवरणिका में निर्धारित किए जाएंगे।
iv. स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता डिग्री में प्राप्त अंकों और पढ़े हुए विषयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केंद्रीय प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा और भारत सरकार के नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में होगा।
2. i. विद्यापीठ के डीन के सामान्य दिशानिर्देश के अधीन होते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के शिक्षण का माध्यम और दैनंदिनी संबन्धित विभाग के अध्यक्ष द्वारा बनाया जाएगा और उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण और निगरानी में रहेगा।
ii. प्रत्येक छात्र अपने अध्ययन की प्रगति और साथ-ही-साथ विश्वविद्यालय परिसर में उसके सामान्य आचरण के संबंध में विभाग के अध्यक्ष और संबन्धित विद्यापीठ के डीन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।
3. एक छात्र को निष्णात डिग्री में उत्तीर्ण होने के लिए चार सेमेस्टरों के दौरान न्यूनतम 64 क्रेडिट प्राप्त करना होगा। कुल 64 क्रेडिट में से 56 क्रेडिट कार्यक्रम के मुख्य पाठ्यक्रम से, जिसमें वह प्रवेश लिया है, प्राप्त करना होगा। शेष 8 क्रेडिट छात्र द्वारा केवल द्वितीय सेमेस्टर (4 क्रेडिट) और तृतीय सेमेस्टर (4 क्रेडिट) के दौरान अन्य विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि, एक छात्र छः सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के दौरान 64 क्रेडिट प्राप्त करेगा।
4. सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा में बैठने के योग्य होने के लिए एक छात्र को एक सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम 75% व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थिति में अधिकतम 5% की कमी को संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी की सिफारिश पर और वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर, जिससे यह प्रमाणित हो कि कुछ वास्तविक कारणों से ही उपस्थिति में कमी हुई थी, संबन्धित डीन द्वारा माफ किया जा सकता है।
5. विद्यापीठ के डीन अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य संबन्धित विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश पर असाधारण मामलों में उपस्थिति की 5% की कमी रियायत कर सकते हैं।
6. किसी एक सेमेस्टर में एक अथवा पूरे पाठ्यक्रम में विफल होनेवाले छात्र, जो भी कारण के लिए हो, अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान उन पाठ्यक्रमों के लिए पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यदि किसी एससी/एसटी/ओबीसी छात्र छः सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम 50% के साथ सभी मुख्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं होगा है, वह उन पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें उसे 50 प्रतिशत से कम प्रतिशत प्राप्त हुआ है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों का भुगतान करने के बाद निर्धारित तिथि के अंदर

अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु वह किसी भी सम्मान, पुरस्कार, मेडल आदि प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

7. प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा दिवसों को चूडकर कम से कम 90 कार्य दिवस होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ और समाप्त होने की तिथि शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।
8. प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए परीक्षकों को अध्ययन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल की सिफ़ारिशों के आधार पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त किया जाएगा
9. सत्रांत परीक्षा में प्रवेश के लिए एक प्रार्थी निर्धारित प्रपत्र में विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी के माध्यम से संबन्धित विद्यापीठ के डीन को आवेदन करेगा। विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि :
 - i. प्रार्थी ने द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में मुख्य पाठ्यक्रम और साथ-ही-साथ पुरे पाठ्यक्रम में न्यूनतम व्याख्यान आदि में भाग लिया है।
 - ii. निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित सभी देय राशि जमा की गई है।
10. सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा का परिणाम परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में और परीक्षा नियंत्रक द्वारा बुलाये गए परिणाम मॉडरेशन बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम मॉडरेशन बोर्ड की सिफ़ारिशों को परीक्षा परिणामों के प्रकाशन से पहले अनुमोदन हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
11. न्यूनतम 4.0 सीजीपीए प्राप्त करने पर छात्रों को सफल माना जाएगा और डिग्री से सम्मानित किए जाने के लिए पात्र होगा। निर्धारित न्यूनतम सीजीपीए से अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 सूत्रीय पैमाने पर प्रासंगिक ग्रेड में स्थान दिया जाएगा।

इसके अलावा, पूर्ण अंकों के संदर्भ में दो शीर्ष अंक प्राप्त करनेवाले छात्रों को क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक प्रदान किए जाएंगे, परंतु शर्त यह है कि अगर ऐसे अंक 60% प्रतिशत अंक से कम होंगे तो, मेडल के लिए योग्य नहीं होंगे। पुनर्मूल्यांकन अथवा सुधार परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों को भी पदकों के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंक पत्रों में प्राप्त किए गए ग्रेड और पूर्ण अंकों का उल्लेख किया जाएगा, जबकि प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों में प्राप्त किए गए ग्रेड और सीजीपीए का उल्लेख होगा।

- * तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ओसी-6

दर्शन शास्त्र निष्णात पाठ्यक्रम पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 30(घ) के अधीन]

उद्देश्य

1.
 - i. विश्वविद्यालय में संबन्धित विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने, ज्ञान का विस्तार करने, सामान्यतः असंख्य विषयों में विभाजित सभी ज्ञानों के एकीकरण में बल देने, शोधार्थियों को आवश्यक उपकरणों से समृद्ध करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में आगे शोध के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एमफिल पाठ्यक्रम है। एमफिल पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की प्रथम शोध डिग्री है।
 - ii. एम.फिल पाठ्यक्रम में दो भाग होंगे : (क) कोर्स वर्क, और (ख) शोध-निबंध/परियोजना कार्य। दोनों भाग समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे, अर्थात् प्रत्येक भाग

में 12 क्रेडिट होंगे।

कोर्स वर्क

2. i. एक सेमेस्टर के कोर्स वर्क में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तीन प्रश्नपत्र होंगे जिनमें से एक पेपर शोध पद्धति पर होगा। इस विश्वविद्यालय के एम.फिल/पीएचडी डिग्री धारी शिक्षक एम.फिल पाठ्यक्रम में पढ़ाने के योग्य होंगे। कोर्स वर्क केवल एक सेमेस्टर की अवधि के लिए होगा और पाठ्यक्रम के प्रारम्भ से दो सेमेस्टर्स के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होगा।
- ii. एम.फिल शोधार्थियों को विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में नए परिणामों पर विचार-विमर्श करने, विषय में विकास और/अथवा तथ्यों के व्याख्यान के उद्देश्य से उपस्थित रहना और भाग लेना आवश्यक होगा। प्रत्येक शोधार्थियों को दो सेमिनार में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एक उनके शोध निबंध/परियोजना कार्य के प्रारम्भिक चरण में और एक उनके शोध निबंध जमा करने के तुरंत बाद।

प्रवेश

3. i. एम.फिल कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश के साथ-साथ वर्ष में एक बार किया जाएगा, बशर्ते कि महाविद्यालय को एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम चलाने के लिए पात्र माना जा सकता है, यदि वह निम्नलिखितों की पूर्ति करता है।
 - क. इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए इच्छुक शैक्षणिक विभागों में कम से कम दो योग्य शोध पर्यवेक्षकों का होना अनिवार्य है।
 - ख. इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए इच्छुक महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा, शोध प्रयोगशालाओं और शोध कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सुसज्जित पुस्तकालयों और सहायक कर्मचारियों का होना अनिवार्य है।
 - ग. इन कार्यक्रमों को चलाने हेतु पात्र होने के लिए संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय से आवश्यक मान्यता प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
- ii. संबन्धित विषय अथवा निकट विषय में कम से कम 55%(एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/पीडब्ल्यूडीप्रार्थियों के मामलों में 50%) अंकों के साथ मास्टर डिग्री धारी प्रार्थियों को विभाग द्वारा आयोजित किए जानेवाली एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार में बैठना अनिवार्य होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और वैयक्तिक साक्षात्कार में बैठने हेतु योग्य होने के लिए 50% प्रतिशत के अंक न्यूनतम अंक होंगे। प्रार्थियों को निम्नलिखित आधार पर विचार करने के बाद निर्धारित योग्यता के आधार पर सख्ती से चयन किया जाएगा :
 - क. मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष में उसके द्वारा प्राप्त सीजीपीए अथवा अंकों का प्रतिशत, और
 - ख. लिखित प्रवेश परीक्षा में उसका प्रदर्शन और साक्षात्कार के प्रदर्शन को एक साथ मिलाया जाएगा।अंतिम प्रवेश सूची उपलब्ध सीटों की संख्या और प्रार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। 10 बिन्दु पैमाने पर कम से कम 6.0 सीजीपीए प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक कोर्स वर्क पूरा करने के बाद विभाग द्वारा एक प्रार्थी को एक पर्यवेक्षक दिया जाएगा।

- iii. जिन प्रार्थियों ने यूजीसी/सीएसआईआर (जेआरएफ) परीक्षा/स्लेट/गेट परीक्षा /शिक्षक फ़ेलोशिप की योग्यता हासिल किया है, उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी जाएगी किन्तु उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित रहना होगा।
- पंजीकरण** 4. एक प्रार्थी अपने शोध प्रारूप के साथ अध्ययन बोर्ड के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे, जिसे विद्यापीठ बोर्ड के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीकरण की तिथि विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुमोदित तिथि होगी।
- अवधि** 5. i. एक शोधार्थी आम तौर पर तीन सेमेस्टर में अपना एम.फिल पूरा करेंगे। शोधार्थियों को पर्यवेक्षक की सिफ़ारिश पर किसी उपयुक्त कारण पर ही केवल एक सेमेस्टर की वर्धित अवधि प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा एमफिल कार्यक्रम में शामिल होने के मामलों में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त सेमेस्टर का समय प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए नियमित प्रार्थियों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, महिला और कम से कम 40% प्रतिशत विकलांगता के साथ पीडबल्यूडी प्रार्थियों को पर्यवेक्षक की सिफ़ारिशों के आधार पर एक सेमेस्टर की अनुमेय सामान्य वर्धित अवधि के ऊपर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। इसके अलावा, महिला प्रार्थी पंजीकरण के बाद एमफिल कार्यक्रम की पूर्ति अवधि में एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश/सीसीएल के लिए हकदार होंगी।
- ii. एक सेमेस्टर के कोर्स वर्क पूरा करने के बाद, जिसमें से कम से कम एक प्रश्नपत्र शोध पद्धति पर हो, यदि किसी प्रार्थी कुछ अनदेखे कारणों से शोध-निबंध का कार्य छोड़ देता है, विद्यापीठ बोर्ड उन्हें अधिकतम दो सेमेस्टर के समय दे सकता है, और प्रार्थी को पुनः कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि व्यवधान दो सेमेस्टर की अवधि से अधिक होता है, शोधार्थी नए सिरे से एम.फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग करेंगे। अवरोध की अवधि उनके कोर्स वर्क के परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से गिनी जाएगी।
- उपस्थिति** 6. क. संदर्भित पत्रिकाओं में अपने नाम से कम से कम पाँच शोध प्रकाशन रहनेवाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी नियमित प्रोफेसर और पीएचडी डिग्री धारी और संदर्भित पत्रिकाओं में अपने नाम से कम से कम दो शोध प्रकाशन रहने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के किसी नियमित सह प्राध्यापकों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी। बशर्ते कि उनके क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई भी संदर्भ शोध पत्रिका नहीं है अथवा केवल सीमित संख्या है, संबन्धित संस्था किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने हे लिए ऐसी छूट देने के लिए लिखित रूप से कारण अभिलेखित करते हुए उक्त शर्तों में छूट दी जा सकती है।
- ख. किसी एमफिल छात्रों से उनके कोर्स वर्क के सभी व्याख्यानों में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रार्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होना आवश्यक होगा। संबन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी की सिफ़ारिश पर और उपस्थिति की कमी के कारणों को सिद्ध करनेवाली दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर संबन्धित डीन द्वारा उपस्थिति की अधिकतम 5% की कमी को माफ कर सकते हैं।
- कोर्स वर्क के मूल्यांकन** 7. i. कोर्स वर्क के मूल्यांकन आंतरिक होगा।
- ii. शोधार्थियों के प्रदर्शनों को 10 सूत्रीय पैमाने पर गिनी जाने वाले ग्रेड में मूल्यांकित किए जाएंगे और एमफिल डिग्री प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम अंक 5.0 सीजीपीए होंगे।

निर्धारित न्यूनतम सीजीपीए से अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को 10 सूत्रीय पैमाने पर प्रासंगिक ग्रेड में स्थान दिया जाएगा।।

iii. एम.फिल डिग्री प्रमाणपत्रों में ग्रेड और 10 सूत्रीय पैमाने पर प्राप्त ग्रेड बिन्दु का उल्लेख रहेगा।

पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार

8. जब पर्यवेक्षकका यह राय है कि शोध प्रबंध पूरे होने की अंतिम चरण में है, शोधार्थी को उनके शोध निष्कर्षों पर एक पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार देने की आवश्यकता होगी। यह सेमिनार कम से कम तीन संकाय सदस्यों से, जिसमें से एक सदस्य संबन्धित विभाग से होंगे, गठित समिति के समक्ष दिया जाएगा। प्रार्थी अपने शोध-निबंध में समिति की सिफारिशों को शामिल करें।

शोध निबंध की प्रस्तुति

9. i. किसी एम.फिल प्रार्थी पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए और विभाग द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित उनके शोध निबंध को सीडी/डीवीडी में 1 सॉफ्ट कॉपी और 3 हार्ड कॉपियाँ जमा करेंगे।

ii. शोध निबंध में प्रार्थी और उनके पर्यवेक्षक द्वारा दी गई एक घोषणा शामिल किया जाएगा जिसमें यह उल्लेख हो कि छात्र के शोध निबंध एक मौलिक शोध है और जिसे इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य डिग्री के लिए जमा नहीं किया गया है।

iii. शोध निबंध में विधिवत प्रमाणित साहित्यिक चोरी परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल होगा। यदि रिपोर्ट यह दर्शाता है कि साहित्यिक छोड़ी की सीमा उद्घरण और संदर्भ को छोड़कर निर्धारित 20% से अधिक है तो उक्त शोध-निबंध को मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के पास नहीं भेजा जाएगा और इन स्थितियों में संबन्धित प्रार्थी को छः महीने की अवधि के दौरान शोध निबंध को पुनः लिखने का अवसर दिया जाएगा, और ऐसा करने में विफल होने पर उनके पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

परीक्षकों के पैनल

10. पर्यवेक्षक आंतरिक परीक्षक के रूप में अपने नाम के साथ-साथ डाक पते, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों सहित चार परीक्षकों का एक पैनल बनाएँगे और उसे निर्धारित प्रारूप में विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से विद्यापीठ बोर्ड को अनुमोदनार्थ एवं परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। जबकि, पर्यवेक्षक उस स्थिति में न पैनल बना सकते हैं और न ही परीक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं, जहां प्रार्थी पत्नी अथवा पति, बेटा अथवा बेटा, भाई अथवा बहन हो।

ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों के पैनल को विभाग के विभागध्यक्ष/प्रभारी द्वारा चयनित और प्रस्तुत किया जाएगा और अगर पर्यवेक्षक ऐसे पद पर कार्यरत हैं तो उसे विद्यापीठ के डीन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसकी एक प्रति शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

मूल्यांकन

11. i. शोध निबंध का परीक्षण शैक्षणिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो परीक्षकों (जिनमें से एक पर्यवेक्षक होंगे) द्वारा किया जाएगा। परीक्षकों में से कम से कम एक परीक्षक राज्य से बाहर से होंगे, जहां विश्वविद्यालय स्थापित है। शोध निबंध के लिए ग्रेड बिन्दु (12 क्रेडिट) को शोध निबंध (8 क्रेडिट/200 अंक) के लिए आंतरिक (4 क्रेडिट) बाह्य (4 क्रेडिट) परीक्षकों द्वारा दी गई ग्रेड बिन्दुओं के औसत के आकलन द्वारा निकाला जाएगा। शेष 4

क्रेडिट/100 अंक मौखिक के आधार पर बाह्य परीक्षकों द्वारा दिये जाएंगे।

- ii. हालांकि, एक पर्यवेक्षक परीक्षक के रूप में वहाँ कार्य नहीं करेंगे जहाँ प्रार्थी पर्यवेक्षक की पत्नी अथवा पति, पुत्र अथवा पुत्री, भाई अथवा बहन होंगे/होंगी। जब प्रार्थी पर्यवेक्षक से संबन्धित होता/होती है, तब प्रार्थी द्वारा एमाफिल डिग्री के लिए जमा किए गए शोध निबंध को परीक्षकों के पैनल में से चयनित किसी अन्य परीक्षक के पास प्रेषित किया जाएगा। ऐसे मामलों में परीक्षकों का पैनल विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यदि विभागाध्यक्ष/प्रभारी पर्यवेक्षक बने, तो उसे विद्यापीठ के डीन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

डिग्री प्रदान

12. i. शोध निबंध कार्य को दोनों परीक्षकों की सर्वसम्मत सिफ़ारिशों के आधार पर एमाफिल डिग्री प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया जाएगा और **बाह्य परीक्षकों द्वारा के मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, बेहतर है कि वे उसके शोध-निबंध के मूल्यांकन कर्ता होंगे।**
- ii. यदि दोनों परीक्षकों के बीच मतभेद होता है, तो मामले को पहले से प्रस्तुत पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीसरे परीक्षकों के पास प्रेषित किया जाएगा। तीसरे परीक्षक अधिनिर्णयक के रूप में कार्य करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।
- iii. यदि परीक्षक शोध निबंध में सुधार हेतु कुछ संशोधन का सुझाव देते हैं अथवा उसमें कुछ खामियां निकालते हैं, तो प्रार्थी को उत्तर देने अथवा सुझाव के तर्ज पर शोध निबंध में संशोधन करने और निर्णय सूचित करने के बाद छः महीने के अंदर शोध निबंध पुनः जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- iv. दोनों परीक्षकों द्वारा सर्वसम्मत सिफ़ारिश की जाने की स्थिति में कोर्स वर्क और शोध निबंध की ग्रेड बिन्दु दोनों के औसत को ध्यान में रखते हुए अंतिम ग्रेड बिन्दु की गणना की जा सकती है। एक परीक्षक द्वारा सिफ़ारिश नहीं की जाने की स्थिति में कोर्स वर्क और तीसरे परीक्षक द्वारा प्रार्थी को दी गई ग्रेड बिन्दु के औसत को ध्यान में रकते हुए अंतिम ग्रेड बिन्दु की गणना की जा सकती है।
- v. **परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात परीक्षा विभाग अंतिम ग्रेड बिन्दुओं की गणना की जाएगी और उसे प्रार्थी के संकलित ग्रेड कार्ड के साथ कुलपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। एक बार अनुमोदित हो जाने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा डिग्री प्रदान करने की सूचना दी जाएगी।**

कठिनाइयों का निवारण

13. इस अध्यादेश में कुछ भी शामिल होते हुए कुलपति कठिनाइयों के निवारण हेतु आवश्यक समझे जाने वाले उपाय ग्रहण कर सकते हैं।

- * तिरछे और मोटे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 10 जून 2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 25वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- * तिरछे अक्षरों में और रेखांकित संशोधित प्रावधानों को दिनांक 21 नवंबर 2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 26वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- * तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ओसी-7

विद्या वाचस्पति कार्यक्रम पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 30(घ) के अधीन]

प्रवेश एवं पात्रता

1. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में होगा और अन्य पाठ्यक्रमों के प्रवेश के साथ वर्ष में एक बार होगा, बशर्ते कि महाविद्यालय एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम चलाने के लिए पात्र माना जाए, अगर महाविद्यालय निम्नलिखितों को पूरा करें :
 - क. इसकार्यक्रम को चलाने के लिए इच्छुक शैक्षणिक विभागों में कम से कम दो योग्य पर्यवेक्षक होना अनिवार्य है।
 - ख. इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए इच्छुक महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा, शोध प्रयोगशालाओं और शोध कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सुसज्जित पुस्तकालयों और सहायक कर्मचारियों का होना अनिवार्य है।
 - ग. इन कार्यक्रमों को चलाने हेतु पात्र होने के लिए संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय से आवश्यक मान्यता प्राप्त करना भी अनिवार्य है।

विभाग द्वारा संचालित संबन्धित विषय अथवा सम्बद्ध/निकट विषय में कम से कम 55%(एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/पीडबल्यूडीप्रार्थियों के मामलों में 50%) अंकों के साथ मास्टर डिग्री धारी प्रार्थियों को विभाग द्वारा आयोजित किए जानेवाली एक लिखित प्रवेश परीक्षा और एक वैयक्तिक साक्षात्कार में बैठना अनिवार्य होगा। प्रार्थियों का चयन लिखित प्रवेश परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर सख्ती से मूल्यांकित किया जाएगा।

नोट : एमफिल/यूजीसी नेट (जेआरएफ सहित) सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लेट/गेट और शिक्षक फ़ेलोशिप की योग्यता हासिल करनेवाले प्रार्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने से छूट दी जाएगी किन्तु उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित रहना होगा। आंतरिक प्रार्थियों, जिनका शोध प्रबंध का मूल्यांकन हो चुका है किन्तु मौखिक पूरा होना अभी शेष है, को भी लिखित परीक्षा में बैठने से छूट दी जाएगी।

कोर्स वर्क

2. कोर्स वर्क केवल एक सेमेस्टर की अवधि के लिए होगा, किन्तु पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने से प्रथम दो सेमेस्टर के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होगा। गैर नेट फ़ेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया छात्रों के कोर्स वर्क आवश्यक प्रतिशत और ग्रेड के साथ पूरा करने की तिथि से प्रारम्भहोगी।

कोर्स वर्क न्यूनतम एक सेमेस्टर के लिए होगा और जिसमें 12 क्रेडिट अनिवार्य होंगे। एक सेमेस्टर के कोर्स वर्क में विभाग द्वारा संचालित तीन पेपर होंगे, जिसमें से एक शोध पद्धति पर होगा। किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामित विश्वविद्यालय से एम.फिल डिग्री प्राप्त करनेवाले प्रार्थियों को कोर्स वर्क करने से छूट दी जाएगी।

पर्यवेक्षक

3. विभाग एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।संदर्भित पत्रिकाओं में अपने नाम से कम से कम पाँच शोध प्रकाशन रहनेवाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी नियमित प्रोफेसर और पीएचडी डिग्री धारी और संदर्भित पत्रिकाओं में अपने नाम से कम से कम दो शोध प्रकाशन रहने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के किसी नियमित सह प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी। उनके क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई भी संदर्भ शोध पत्रिका नहीं है अथवा केवल सीमित संख्या है,संबन्धित संस्था किसी व्यक्ति कोशोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए उपर्युक्त शर्तों में छूट दी

सकती है और ऐसी छूट प्रदान करने के लिए लिखित रूप में कारण अंकित करना होगा।

इसके अतिरिक्त विद्यापीठ बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार विभाग उस मामलों में एक अथवा दो संयुक्त पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं, जिस मामले में पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण के समग्र प्रभारी होंगे। संयुक्त पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय के शिक्षक होना आवश्यक नहीं है परंतु वे एक डॉक्टरल कार्य के पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य और जानकार के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होंगे। पर्यवेक्षक के लंबे अवकाश, पदत्याग अथवा विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में विभागीय शोध समिति (डीआरसी) अपने सभी पंजीकृत शोधार्थियों को पर्यवेक्षक पुनरावृत्ति करेगी और संबन्धित विद्यापीठ बोर्ड से विधिवत अनुमति मांगेगी।

पंजीकरण

4. पीएचडी के पंजीकरण शोध के शीर्षक, शोध के विवरण, उद्देश्य, शोध प्रश्नावली और शोध पद्धतियों को शामिल करते हुए एक शोध प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबन्धित विभाग में आवेदन किया जाएगा। विभाग शोध प्रस्ताव को अध्ययन बोर्ड के माध्यम से विद्यापीठ बोर्ड को अग्रेषित करेगा। इस अध्यादेश के उद्देश्य हेतु जिस तारीख को विद्यापीठ बोर्ड पंजीकरण के लिए प्रस्तुत शोध प्रस्ताव को स्वीकार करता है, वही तारीख शोधार्थी के लिए पंजीकरण की तारीख होगी। हालांकि, पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश की तिथि और पंजीकरण की तिथि के बीच अधिकतम 3 सेमेस्टर अथवा 18 महीने की अनुमेय अवधि होगी।

अवधि

5. i. यदि किसी शोधार्थी ने विश्वविद्यालय में उनके शोध प्रारूप प्रवेश की तिथि से गणना करते हुए कम से कम तीन वर्षों तक शोध कार्य चुका है, तो उस शोधार्थी को पीएचडी डिग्री के लिए शोध प्रबंध जमा करने के लिए अनुमति दी जाएगी। यदि किसी शोधार्थी अपने पंजीकरण की तिथि से छः वर्षों के अंदर अपना शोध-प्रबंध जमा करने में विफल होता है तो उसका नाम विश्वविद्यालय के नामांकन से हटा दिया जाएगा। कुछ असाधारण स्थितियों में अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर विद्यापीठ बोर्ड शोधार्थी के शोध-प्रबंध जमा करने की तिथि को और एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि शोधार्थी वर्धित अवधि के दौरान भी शोध-प्रबंध जमा करने में विफल होता है तो उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि, महिला और कम से कम 40% प्रतिशत विकलांग पीडबल्यूडी प्रार्थियों को पर्यवेक्षक की सिफारिशों के आधार पर एक सेमेस्टर की अनुमेय सामान्य वर्धित अवधि के ऊपर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। इसके अलावा, महिला प्रार्थी पंजीकरण के बाद एमफिल कार्यक्रम की पूर्ति अवधि में एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश/सीसीएल के लिए हकदार होंगी।

प्रगति की समीक्षा

6. पर्यवेक्षक प्रार्थी के शोध कार्य की प्रगति का नियमित तौर पर देखरेख करेंगे। यदि पर्यवेक्षक को लगता है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो उसके लिए विभाग के माध्यम से विद्यापीठ बोर्ड को उचित कार्रवाई हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार

7. जब पर्यवेक्षक का यह राय है कि शोध-प्रबंध अंतिम चरण में है, शोधार्थियों को अपने शोध निष्कर्षों पर एक पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सेमिनार कम से कम तीन सदस्यों की मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में दिया जाएगा, जिनमें से एक विभाग के बाहर से होंगे, जिन्हें संबन्धित विद्यापीठ के डीन द्वारा नामित किया जाएगा। प्रार्थी अपने शोध-प्रबंध में समिति की सिफारिशों को शामिल करेंगे।

शीर्षक का संशोधन

8. यदि शोध शीर्षकों में संशोधन की आवश्यकता हो, प्रार्थी संबन्धित बोर्ड के अनुमोदन के लिए शोध प्रबंध जमा करने की तिथि से कम से कम छः महीने पहले अध्यक्ष/प्रभारी के माध्यम से डीन को आवेदन करेगा।

शोध प्रबंध की प्रस्तुति

9. i. एक प्रार्थी अपने शोध प्रबंध जमा करेंगे जिसमें वे इस विषय पर प्रकाशित किए गए किसी भी प्रकार के कार्यों को पाठ्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। किन्तु वे शोध प्रबंध के रूप में किसी भी कार्यों को शामिल नहीं करेंगे जिसके लिए उन्हें इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय से पहले ही डिग्री प्रदान किया जा चुका है।
- ii. एक पीएचडी प्रार्थी अपने शोध-प्रबंध जमा करने से पहले किसी संदर्भित शोध-पत्रिका में कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित करेंगे और उसके साक्ष्य स्वीकृति पत्र अथवा पुनर्मुद्रण के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- iii. शोधार्थी यह संतुष्ट करेंगे कि यह या तो नए तथ्यों के आविष्कार द्वारा अथवा तथ्यों अथवा सिद्धांतों के नयी व्याख्या के द्वारा विशेषीकृत शोध कार्य का एक अंश है। किसी अन्य मामलों में इसे महत्वपूर्ण परीक्षण, मौलिक सोच और जांच की उनकी क्षमता का द्योतक होना चाहिए। इसकी साहित्यिक प्रस्तुति भी संतोषजनक होनी चाहिए।
- iv. शोध प्रबंध में पर्यवेक्षक की ओर से एक प्रमाणपत्र और शोधार्थी की ओर से एक घोषणा शामिल की जाएगी जिसमें यह उल्लेख हो कि शोध प्रबंध छात्र का एक मौलिक शोध है और उसे इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय अथवा किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी डिग्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- v. शोध निबंध में विधिवत प्रमाणित साहित्यिक चोरी परीक्षण रिपोर्ट भी शामिल होगा। यदि रिपोर्ट यह दर्शाता है कि साहित्यिक छोड़ी की सीमा उद्घरण और संदर्भ को छोड़कर निर्धारित 20% से अधिक है तो उक्तशोध-निबंध को मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के पास नहीं भेजा जाएगा और इन स्थितियों में संबन्धित प्रार्थी को छः महीने की अवधि के दौरान शोध निबंध को पुनः लिखने का अवसर दिया जाएगा, और ऐसा करने में विफल होने पर उनके पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
- vi. यदि परीक्षा नियंत्रक को दृढ़ विश्वास है कि शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी की गई है तो उसे परीक्षकों के पास मूल्यांकन हेतु नहीं भेजा जाएगा। ऐसे प्रार्थियों को उनके शोध प्रबंध पुनः लिखने के लिए दिया जा सकता है, ऐसा करने में विफल होने पर उनके पंजीकरण को रद्द किया जाएगा।

परीक्षकों का पैनल

10. पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूप में आंतरिक परीक्षक के रूप में अपने नाम को शामिल करते हुए परीक्षकों के डाक पते, ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर सहित छः परीक्षकों का एक पैनल परीक्षा नियंत्रक के अनुमोदन हेतु विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से विद्यापीठ बोर्ड के अनुमोदन हेतु और परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे, बशर्ते कि, पर्यवेक्षक उस स्थिति में न पैनल बना सकते हैं और न ही परीक्षक के रूप में सेवा दे सकते हैं, जहां प्रार्थी पत्नी अथवा पति, बेटा अथवा बेटी, भाई अथवा बहन हो।
- ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों के पैनल को विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा चयनित और प्रस्तुत किया जाएगा और अगर पर्यवेक्षक ऐसे पद पर कार्यरत हैं तो उसे विद्यापीठ के डीन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसकी एक प्रति शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

मूल्यांकन

11. पीएचडी के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नामित कम से कम से कम तीन परीक्षकों द्वारा जांच की जाएगी। परीक्षकों में से दो परीक्षक ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की भूमिका में नहीं होंगे और उनमें से कम से कम एक राज्य के बाहर से होंगे, जबकि तीसरे परीक्षक पर्यवेक्षक होंगे।

जमा करने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परीक्षा नियंत्रक शोध-प्रबंधों को मूल्यांकित किए जाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे।

परीक्षकों की रिपोर्ट और मौखिक

12. i. प्रत्येक परीक्षक शोध प्रबंधों की जांच करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में यह स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि उनके मतानुसार (क) शोध प्रबंध पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए सिफारिश की जाती है, अथवा (ख) शोध प्रबंध को संशोधित/परिवर्तित किया जाना चाहिए, अथवा (ग) शोध प्रबंध को अस्वीकार किया जाए।
- ii. यदि किसी परीक्षक शोध प्रबंध के कुछ संशोधन/सुधार करने का सुझाव देते हैं अथवा शोध प्रबंध में कुछ खामियाँ बताते हैं, प्रार्थी को उत्तर देने अथवा दिये गए सुझाव के अनुसार संशोधित करने के लिए बताया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन की आवश्यकता की सूचना देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान संबन्धित परीक्षकों के पास शोध प्रबंध को अग्रेषित किए जाने के लिए फिर से शोध प्रबंध जमा करने के लिए कहा जा सकता है। फिर भी यदि परीक्षक संतुष्ट नहीं होते हैं तो मामले को कुलपति द्वारा नियुक्त किए जानेवाली समिति के विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा।
- iii. एक शोध प्रबंध को दर्शनशास्त्र के डॉक्टर डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षकों द्वारा दी गई सर्वसम्मत सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। यदि दोनों बाह्य परीक्षक शोध प्रबंध को अस्वीकार करते हैं, तो कोई भी डिग्री नहीं दी जाएगी। यदि बाह्य परीक्षकों के बीच मतभेद होता होता है तो उसे शैक्षणिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद द्वारा पूर्व अनुमोदित पैनल में से कुलपति महोदय द्वारा नामित चौथे परीक्षक के पास भेजा जाएगा। चौथे परीक्षक का मत अंतिम होगा।
- iv. यदि रिपोर्ट संतोषजनक रहे तो वह विद्यापीठ के डीन द्वारा बुलाये गए और संचालित विश्वविद्यालय के दर्शकों के समक्ष अपने शोध-प्रबंध का पक्ष रखेगा।

डिग्री प्रदान करना

13. मौखिक परीक्षा पर विद्यापीठ के डीन की रिपोर्ट सहित परीक्षकों की सभी रिपोर्टों को परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाना होगा, जो उसके बाद मामलों पर कारवाई करेंगे और आवश्यक कार्य को पूरा करने के बाद कुलपति के अनुमोदन हेतु मामलों प्रस्तुत करेंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक परिणाम अधिसूचित करेंगे।

कठिनाइयों का निवारण

14. उपरोक्त अध्यादेश में कुछ भी होते हुए, कुलपति कठिनाइयों के निवारण हेतु आवश्यक समझे जाने पर कुछ उपाय अथवा कुछ विनियम लागू कर सकते हैं।

* तिरछे अक्षरों में और रेखांकित संशोधित प्रावधानों को दिनांक 21 नवंबर 2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 26वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

* तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

सम्बद्ध महाविद्यालयों पर ओडी शृंखला

ओडी-1

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत महाविद्यालयों, संस्थानों का प्रवेश पर

[सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के धारा 5 (xvii) के अधीन]

परिभाषा	इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए महाविद्यालय/संस्थान का अर्थ है स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों/अध्ययन पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनेवाले महाविद्यालय/संस्थान; “विषय” शब्द इतिहास, अर्थशास्त्र, और भूगोल जैसे विषयों को दर्शाता है; “पाठ्यक्रम” का मतलब है पास, ऑनर्स और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, और “कार्यक्रम” शब्द स्नातक, एकीकृत, निष्पात, एमफ़िल और पीएचडी कार्यक्रम (एकल अथवा एकीकृत) को दर्शाता है।										
संबद्धता समिति	<p>1 शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों/संस्थानों/विषयों/पाठ्यक्रमों के लिए एक संबद्धता समिति का गठन करेगी : समिति का गठन निम्नानुसार होगा :</p> <table><tr><td>i. कुलपति अथवा उप-कुलपति</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>ii. सार्वजनिक निर्देश/उच्च शिक्षा के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>iii. शैक्षणिक परिषद के दो नामांकित</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>iv. परीक्षा नियंत्रक</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>v. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद</td><td>सदस्य-सचिव</td></tr></table>	i. कुलपति अथवा उप-कुलपति	अध्यक्ष	ii. सार्वजनिक निर्देश/उच्च शिक्षा के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य	iii. शैक्षणिक परिषद के दो नामांकित	सदस्य	iv. परीक्षा नियंत्रक	सदस्य	v. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य-सचिव
i. कुलपति अथवा उप-कुलपति	अध्यक्ष										
ii. सार्वजनिक निर्देश/उच्च शिक्षा के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य										
iii. शैक्षणिक परिषद के दो नामांकित	सदस्य										
iv. परीक्षा नियंत्रक	सदस्य										
v. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य-सचिव										
शक्ति एवं कार्य	<p>2. संबद्धता समिति संबद्धता के लिए आए आवेदनों की संवीक्षा करेगी और शैक्षणिक परिषद को महाविद्यालयों/संस्थानों/विषयों/पाठ्यक्रमों की संबद्धता की सिफ़ारिश करेगी। यदि किसी महाविद्यालयों/संस्थानों/विषयों/पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने के लिए भी संबद्धता समिति सिफ़ारिश करेगी।</p>										
बैठक	<p>3. संबद्धता समिति आवश्यकता के अनुसार बैठक करेगी।</p>										
गणपूर्ति	<p>4. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक-तिहाई सदस्यों से बनेगा।</p>										
डिग्री महाविद्यालय/संस्थान	<p>5. इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रासंगिक डिग्रियों के लिए विषयों में शिक्षा प्रदान करने वाले स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय/संस्थान होगा।</p>										
विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रवेश	<p>6. विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में किसी महाविद्यालय/संस्थान का अर्थ होगा इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए संबद्धता</p>										
अध्ययन के विषय/पाठ्यक्रम	<p>7. विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रासंगिक डिग्री प्रदान करनेवाले विभिन्न पाठ्यक्रमों (पास/ऑनर्स/व्यावसायिक) प्रवेश का अर्थ है संबद्धता और इसे इस अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जाएगा।</p>										

- एक महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रमकी संबद्धता के चरण**
- नएपाठ्यक्रम/विषय/महाविद्यालय/संस्थानका प्रारम्भ**
- आवेदन की प्रारम्भिकजांच**
- निरीक्षण टीम**
- निरीक्षण**
- अस्थायी संबद्धता के लिए प्रायोजक एजेंसी/प्राधिकारी द्वारा लिए गए प्रारम्भिक कदम**
- नवीकरण प्रदान**
8. महाविद्यालय/संस्थान/विषयों/पाठ्यक्रमों की संबद्धता इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार दो चरणों में होगी : (i) अस्थायी संबद्धता और (ii) स्थायी संबद्धता
 9. जब एक नए महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रायोजक निकाय अथवा सरकारी महाविद्यालय/संस्थान के मामले में संबन्धित प्राधिकारी जिस वर्ष से महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है, उसके पहले वर्ष के 15 अगस्त को अथवा उससे पहले निर्धारित प्रपत्र में कुलसचिव को आवेदन करेंगे।
 10. आवेदन प्राप्त होने पर संबद्धता समिति आवेदन की प्रारम्भिक जांच करेगी और आवश्यकता होने पर संबन्धित आवेदकों से लिखित रूप में आगे स्पष्टीकरण मांग सकती है। यदि समिति परियोजना रिपोर्ट से संतुष्ट है और एक नए महाविद्यालय/संस्थान शुरू करने के लिए इसमें एक प्रथम द्रष्ट्या मामला पाया गया है तो समिति एक निरीक्षण टीम का गठन करने के लिए सिफ़ारिश कर सकती है।
 11. निरीक्षण टीम यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित की जाएगी।
 12. निरीक्षण टीम इसकी रिपोर्ट विजिट के बाद 7 दिन के अंदर निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण टीम स्थान की उपयुक्तता, योजना की व्यवहार्यता, मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधन की पर्याप्तता, पुस्तकालय/प्रयोगशाला सुविधाएं और यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करेगी। यदि संबद्धता समिति इस रिपोर्ट से संतुष्ट होती है, तो समिति महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफ़ारिश करेगी। शैक्षणिक परिषद अपनी सिफ़ारिश अनुमति प्रदान करने हेतु कार्यकारिणी परिषद को भेजेगी।
 13. एक महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्राप्त अनुमति के आधार पर आवेदक विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित शुल्क और ऐसे अन्य दस्तावेज़ जमा किया जाएगा, जैसे कि यूजीसी द्वारा कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिकअध्ययन के लिए निर्धारित राशिके लिए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट के दस्तावेज़ों को साक्ष्य के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम को अस्थायी सम्बद्ध के रूप में माना जाता है और ऐसीसंबद्धता केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगा। संबद्धता के नवीकरण के लिएअस्थायी संबद्धता समाप्त होने से कम से कम एक सेमेस्टर पहले आवेदन कियाजाना अनिवार्य है।
 14. संबद्धता समिति के अध्यक्ष नवीकरण के लिए महाविद्यालय/संस्थानों के निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण टीम गठन करेंगे। निरीक्षण टीम को निरीक्षण करने के बाद 7 दिन के अंदर निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबद्धता समिति अपनी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के साथ रिपोर्ट को

शैक्षणिक परिषद को अग्रेषित करेगी। यदि शैक्षणिक परिषद रिपोर्ट से संतुष्ट होती है, तो परिषद अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए कार्यकारिणी परिषद को सिफ़ारिश कर सकती है।

- स्थायी संबद्धता** 15. जिस महाविद्यालय/संस्थान को पाँच वर्ष के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है और यूजीसी द्वारा किसी उद्देश्य के लिए समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार अन्य शर्तों को पूरा करता है, वह महाविद्यालय/ संस्थान स्थायी संबद्धता के लिए आवश्यक शुल्कों के साथ निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषदको आवेदन कर सकता है।
- स्थायी संबद्धता प्रदान** 16. सम्बद्ध समिति के अध्यक्ष महाविद्यालय/संस्थान अथवा विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा दोनों की स्थायी संबद्धता हेतु महाविद्यालय/संस्थान के निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण टीम का गठन करेंगे। निरीक्षण टीम इसकी निरीक्षण के बाद 7 दिन के अंदर निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद शैक्षणिक परिषद संबद्धता समिति उसे अपनी टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के साथ शैक्षणिक परिषद को अग्रेषित करेगी। यदि शैक्षणिक परिषद रिपोर्ट से संतुष्ट होता है, तो एक महाविद्यालय/संस्थान अथवा उसके अंतर्गत विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी परिषद को सिफ़ारिश भेज सकती है।
- नई शर्तें लगाने की शक्ति** 17. शैक्षणिक परिषद की सिफ़ारिश पर कार्यकारिणी परिषद संबद्धता के लिए समय-समय पर नई शर्तें लगा सकती है, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रवेश करनेवाले महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए बाध्यकारी होगा।
- छात्रों का प्रवेश** 18. कोई भी छात्र को किसी भी महाविद्यालय/संस्थान/विषय/अध्ययन पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदान करने से पहले प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। इस नियम के उल्लंघन से महाविद्यालय/संस्थान की संबद्धता अस्वीकृत हो सकती है।
- किसी संबद्धता की अनुमति को वापस लेने की शक्ति** 19. कार्यकारिणी परिषद के मतानुसार यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान संबद्धता पर आधारित इस अध्यादेश अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य निर्देशों का पालन करने में विफल हुआ है, कार्यकारिणी परिषद के पास किसी भी महाविद्यालय/ संस्थान से संबद्धता वापस लेने की शक्ति है।

शुल्क

20. सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा इस अध्यादेश को अपनाए जाने की तिथि से प्रत्येक वर्ष 2% गैर-संचयी वृद्धि के साथ निम्नलिखित शुल्कों का भुगतान किया जाएगा :

क्र।सं ।	आवेदन किए गए संबद्धता की प्रकृति	शुल्क राशि रुपये में भुगतान किया जाएगा
1	संस्थान की अस्थायी संबद्धता	10,000
2	संस्थान की स्थायी संबद्धता	50,000
3	स्नातक पास विषय की अस्थायी संबद्धता	5,000
4	स्नातक पास विषय की स्थायी संबद्धता	25,000
5	स्नातक ऑनर्स विषय की अस्थायी संबद्धता	8,000
6	स्नातक ऑनर्स विषय की स्थायी संबद्धता	40,000
7	स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता	10,000
8	स्नातक व्यावसायिक विषय की स्थायी संबद्धता	50,000
9	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता	3,000
10	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की स्थायी संबद्धता	15,000
11	डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता	5,000
12	डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्थायी संबद्धता	25,000
13	स्नातकोत्तर विषय की अस्थायी संबद्धता	5,000
14	स्नातकोत्तर विषय की स्थायी संबद्धता	25,000
15	एम फिल विषयों के अस्थायी संबद्धता	6,000
16	पीएचडी विषयों के अस्थायी संबद्धता	8,000
17	कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सावधि जमा	15 लाख अथवा यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार
18	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सावधि जमा	35 लाख अथवा यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार

ऊपर में उल्लेखित क्रम सं. 17 और 18 के अंतर्गत सावधि जमा सिविकम सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। यह विधिवत गठित शासकीय निकाय, पंजीकृत सोसाइटी और न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के लिए लागू होगा।

**कठिनाइयों का
निवारण**

21. इस अध्यादेश के किसी भी प्रावधानों की व्याख्या करने अथवा उसे प्रभावी करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर उसे कुलपति को भेजा जाएगा, उस पर जिनकी व्याख्या अथवा निर्णय अंतिम होगा।

* तिरछे अक्षरों में दिये गए संशोधित प्रावधानों को दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 27वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।